न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 123/2025

सदाम हुसैन पुत्र ईसाक, निवासी नालवा की ढाणी, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. गिरधारीलाल पुत्र श्री खेताराम, निवासी मण्ड्रेला, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. सुबेदौलत पत्नि ईसाक, निवासी नालवा की ढाणी, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
3. मोहम्मद जीमल पुत्र ईसाक, निवासी नालवा की ढाणी, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
4. मोहम्मद शकील पुत्र ईसाक, निवासी नालवा की ढाणी, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
5. फिरदौस पुत्री ईसाक, निवासी नालवा की ढाणी, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट्स

——

अपील निर्णय विरूद्व दिनांक 29.12.2023 न्यायालय तहसीलदार चिडावा मुकदमा उनवानी गिरधारीलाल बनाम ईसाक वगैरह मुकदमा नम्बर 3/2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

——

उपस्थितः—

1. श्री अनिल कुमार मान, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्योप्रसाद एवं श्रीमती सरोज बंशीवाल एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 5 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 25.02.2026

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 29.12.2023 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार पेश है कि प्रार्थी की तरफ से एक प्रार्थना पत्र इस आशय से पेश किया कि रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि खसरा नं0 1195/432, 432, 434 राजस्व ग्राम मण्ड्रेला, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं मे स्थित है जिससे संबंधित विवाद विभिन्न न्यायालयों मे विचाराधीन है तथा प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि अनुसूचित जाति की है। उक्त कृषि भूमि को अपीलार्थी भूमाफिया गिरोह की सहायता से अकृषि मे परिवर्तन कर पुख्ता निर्माण कर दुकानात व प्लाटिंग कर नौहरे बना रहे है जिससे कृषि भूमि मे परिर्वतन हो रहा है। रेस्पोडेन्ट को कृषि भूमि से संबंधित कृषि कार्य करने के उपयोग मे नही आ रही है। अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य रूकवाया जावे व निर्माण सामग्री जब्त कर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि का अकृषि होने से बचाया जावे उक्त कृषि भूमि खसरा नं0 432 व 434 राजस्व ग्राम मण्ड्रेला अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण अपने भूमाफिया गिरोह की सहायता से प्लाटिंग व पुख्ता निर्माण कर नोटेरी से विकय कर कृषि भूमि खुर्द—बुर्द कर रहे है। उक्त कृषि भूमि के बीचो—बीच खसरा नं0 433 जो कि कटानी रास्ता है जिसमे भी भूमाफिया रास्ते पर दुकान व प्लाट काटकर पुख्ता निर्माण करवा रहे है जिस पर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण को अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के विरूद्व धारा 183(ख) मे दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को सूचित किया गया अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की ओर से अनिल मान एडवोकेट ने वकालतनामा पेश

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की ओर से शिवहरी प्रसाद उपस्थित रहा। पत्रावली मे सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान के वकीलों की बहस सुनी गई। नायब तहसीलदार, मण्ड्रेला से वर्तमान मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट चाही गई। नायब तहसीलदार की जांच रिपोर्ट दिनांक 17.11.2022 के अनुसार ग्राम मण्ड्रेला के खसरा नं0 1195/432, 432, 434 कुल रकबा 3.24 है0 है। खसरा नं0 1195/432, 432, 434 राजस्व रिकार्ड मे गिरधारी पुत्र खेता हिस्सा 13/81 जाति रैगर ग्राम खातेदार रामनिवास पुत्र शंकरलाल हिस्सा 55/162 जाति धानक सा0 उरीका तहसील चिडावा खातेदार लेखराम पुत्र नारायण राम हिस्सा 1/2 जाति धानक सा0 उरीका तहसील चिडावा खातेदार के भूमि नाम दर्ज है। खसरा नं0 432 मे ईसाक पुत्र ईस्माईल, सदाम हुसैन पुत्र ईसाक जाति कसाई व्यापारी निवासी नालवा की ढाणी का मौके पर कब्जा एक दुकान 30गुणा 46 फुट की पक्का निर्माण 200 गुणा 60 फुट मे चार दीवारी बना रखी है। जांच रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थी के वकील ने निवेदन किया कि भूमि अनुसूचित जाति की है व प्रार्थी के नाम राजस्व रिकाड मे दर्ज है। प्रार्थी की भूमि पर ईसाक पुत्र ईस्माईल, सदाम हुसैन पुत्र ईसाक, जाति कसाई व्यापारी निवासी नालवा की ढाण्णी द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है जो पटवारी रिपोर्ट से भी साबित है। अप्रार्थीगण कसाई व्यापारी जाति का है जिसको अनुसूचित जाति की जमीन खरीदने व कब्जा करने का केई अधिकार प्राप्त नही है। अतः अवैध कब्जा हटाया जाकर प्रार्थी को कब्जा दिलाया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया कि अनुसूचित जाति की भूमि पर कसाई व्यापारी जाति के व्यक्ति का अवैध कब्जा करने व खरीदने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। अतः इस भूमि से प्रार्थीगण ईसाक पुत्र ईस्माईल, सदाम हुसैन पुत्र ईसाक को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वजुहात अपील निम्न प्रकार से पेश है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व पत्रावली है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की अवहेलना कर बिना अपीलार्थी को सुने एवं प्रार्थना पत्र का जबाब दिये बगैर ही एक पक्षकार को सुनकर निर्णय पारित किया है जिस कारण भी निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र के अभिवचन मे इस बात को स्वीकारा है कि उक्त विवादित भूमि के संबंध मे विभिन्न न्यायालयों मे मुकदमे विचाराधीन है। बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट को यह प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र क्यों प्रस्तुत करना पडा इसकी जांच किये बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय ने कानून से बाहर जाकर जल्दबाजी मे अपीलार्थी के विरूद्व निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र मे किसी भी बिन्दू मे इस बात का तथ्य उल्लेखित नही है कि अपीलार्थी उक्त भूमि पर किस दिनांक से तथा किस हैषियत से काबिज है जिस कारण रेस्पोडेन्ट अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल कराने का अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट का विवादित भूमि खसरा नं0 1195/432 रकबा 0.23 है0 खसरा नं0 432 रकबा 2.75 है0, ख0न0 434 रकबा 0.26 है0 कुल खसरे 3 रकबा 3.24 है0 मे से 13.81 है0 हिस्सा बनता है जिसके संबंध मे पटवारी मण्ड्रेला द्वारा प्रस्तुत अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट मे लगभग 1/3 भूमि खाली पडी होना बताया है बावजूद इस रिपोर्ट का अवलोकन किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चिडावा जिला झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 29.12.2023 को अपास्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व पत्रावली है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की अवहेलना कर बिना अपीलार्थी को सुने एवं प्रार्थना पत्र का जबाब दिये बगैर ही एक पक्षकार को सुनकर निर्णय पारित किया है जिस कारण भी

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र के अभिवचन मे इस बात को स्वीकारा है कि उक्त विवादित भूमि के संबंध मे विभिन्न न्यायालयों मे मुकदमे विचाराधीन है। बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट को यह प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र क्यों प्रस्तुत करना पडा इसकी जांच किये बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय ने कानून से बाहर जाकर जल्दबाजी मे अपीलार्थी के विरूद्व निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र मे किसी भी बिन्दू मे इस बात का तथ्य उल्लेखित नही है कि अपीलार्थी उक्त भूमि पर किस दिनांक से तथा किस हैषियत से काबिज है जिस कारण रेस्पोडेन्ट अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल कराने का अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट का विवादित भूमि खसरा नं0 1195/432 रकबा 0.23 है0 खसरा नं0 432 रकबा 2.75 है0, ख0न0 434 रकबा 0.26 है0 कुल खसरे 3 रकबा 3.24 है0 मे से 13.81 है0 हिस्सा बनता है जिसके संबंध मे पटवारी मण्ड्रेला द्वारा प्रस्तुत अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट मे लगभग 1/3 भूमि खाली पडी होना बताया है बावजूद इस रिपोर्ट का अवलोकन किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि संपरिवर्तित भूमि है। संपरिवर्तित भूमि के संबंध मे धारा 183बी लागू नही होती है। विवादित भूमि हमारी पैतृक भूमि है। रेस्पोडेन्ट खाली पडी 1/3 भूमि मे से अपना हिस्सा विभाजन करवाकर प्राप्त कर सकता है। रेस्पोडेन्ट सिविल कोर्ट से वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अदालत मातहत का निर्णय विधिविरूद्व है। रेस्पोडेन्ट ने मुकदमों की बहुलता बढाने व मामले को पेचिदा बनाने के उद्देश्य से अदालत मातहत से निर्णय दिनांक 29.12.2023 पारित करवाया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चिडावा जिला झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 29.12.2023 को अपास्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने लिखित बहस पेश कर वकील अपीलान्टस के तर्को को विरोध किया तथा कथन किया कि अपीलान्ट सदाम हुसैन ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के कर दिया है। जब अपीलान्ट के पास कोई भूमि ही शेष नही बची है तो वह इस न्यायालय मे अपील पेश करने का अधिकार नही रखता है। अपीलान्ट की यह अपील आधारहीन है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा अदालत मातहत की पत्रावली का भी अवलोकन किया वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 का अहम तर्क यह है कि अपीलान्ट सदाम हुसैन ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के कर दिया है। जब अपीलान्ट के पास कोई भूमि ही शेष नही बची है तो वह इस न्यायालय मे अपील पेश करने का अधिकार नही रखता है। अतः अपीलान्ट की यह अपील आधारहीन है। हम वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 के इन तर्को से सहमत है कि अपीलान्ट सदाम हुसैन ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर दिया है जिसके कारण उसे यह अपील पेश करने का कोई अधिकार नही है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारीज की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 29.12.2023 को यथावत रखा जाता है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं